

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1079/2021/10-11/1358

भोपाल, दिनांक 5/4/23

प्रेषक:-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंग रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- रतलाम जिले में रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु
3.376 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, रतलाम को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- REC की बैठक दिनांक 22.02.2023

----0----

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण की REC की बैठक दिनांक 22.02.2023 में चर्चा की गई। बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न जानकारी आपके द्वारा चाही गई है:-

The User Agency has constructed part of the road (area 0.0285 ha) without approval of competent authority. The State Forest Department shall submit compliance in accordance with clause 1.21 of FCA guidelines so as to enable this office to initiate action under 3A & 3B of F (C) A, 1980

प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा वर्ष 2016 में रतलाम वन मण्डल के कक्ष क्रमांक पी-150 में बिना अनुमति के 163 मीटर लम्बाई एवं 5.50 मीटर चौड़ाई इस प्रकार कुल 0.089 हेक्टेयर में मार्ग निर्माण का कार्य किया गया है।

उक्त मार्ग वर्ष 1980 के पूर्व का निर्मित होने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा उक्त भूमि राजस्व भूमि मानकार अज्ञानतावश कार्य किया गया था। वन मण्डलाधिकारी रतलाम के संज्ञान में आने पर तुरंत मार्ग निर्माण का कार्य बंद कर दिया गया। तत्समय उक्त उल्लंघन हेतु वन अपराध प्रकरण दर्ज नहीं किया गया था।

इसके पश्चात आवेदक संस्थान द्वारा दिनांक 29.06.2019 को उक्त मार्ग निर्माण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया। कार्यालयीन एवं राज्य शासन की अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव आपको अनुमोदन हेतु भेजा गया। प्रकरण में आपके द्वारा उल्लंघन में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।


प्रकरण में हुए उल्लंघन की संक्षेपिका रतलाम से प्राप्त कर राज्य शासन एवं आपको प्रेषित की गई। राज्य शासन द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उपरोक्त वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3A and/ or 3B में उल्लंघन हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के अधिकार आपको हैं। अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अनुरोध है।

यह कार्य जन उपयोगी है। इस मार्ग पर आवागमन काफी बढ़ने के कारण इस मार्ग को चौड़ा करना आवश्यक है। अतः प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सामान्तर रूप से जारी रखने का अनुरोध है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।


भवदीय


(सुनील अग्रवाल)

भोपाल, दिनांक 5/4/23

पृ. क्रमांक/एफ-5/1079/2021/10-11/1359
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), उज्जैन, वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रतलाम, मध्यप्रदेश।
 3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, हाथीखाना रोड, रतलाम, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल